

ईओआई - सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के लिए एजेंसियों का इम्पैनलमेंट

एक्सप्रेसन ऑफ़ इंटरस्ट (ईओआई)

**सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) के लिए एजेंसियों के
इम्पैनलमेंट हेतु**

ईओआई संख्या : HUDCO/CO-CSR/IA/2025-26/01 दिनांक 05 June 2025

ईओआई के प्रकाशन की तिथि	05 जून 2025
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि	26 जून 2025

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक नवरत्न सीपीएसई)

कॉर्पो. कार्यालय : हडको भवन ,इंडिया हैबिटेड सेंटर,

लोधी रोड ,नई दिल्ली- 110003

ईओआई - सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के लिए एजेंसियों का इम्पैनेलमेंट

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

कॉर्पो. कार्यालय :हडको भवन ,इंडिया हैबिटेड सेंटर,

लोधी रोड ,नई दिल्ली-110003.

एक्सप्रेसन ऑफ़ इंटरस्ट हेतु आमंत्रण

सन्दर्भ संख्या : HUDCO/CO-CSR/IA/2025-26/01

दिनांक : 05 June 2025

1. हडको“ सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन(इम्पैक्ट असेसमेंट) के लिए एजेंसियों के इम्पैनेलमेंट ” हेतु आवेदन आमंत्रित करना चाहता है।

2. इच्छुक आवेदक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ,हडको भवन ,इंडिया हैबिटेड सेंटर ,लोधी रोड ,नई दिल्ली-110003 से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. आवेदन 26 जून 2025 तक केवल ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे ।

आवेदन प्रक्रिया की समय सारणी इस प्रकार है:

ईओआई के प्रकाशन की तिथि	05 जून 2025
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि	26 जून 2025
ईओआई जमा करने का तरीका	ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से
सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने का पता (हार्ड कॉपी के मामले में)	महाप्रबंधक (सीएसआर), हडको भवन ,इंडिया हैबिटेड सेंटर ,लोधी रोड ,नई दिल्ली-110003
ईमेल आईडी	CSR@HUDCO.ORG
टेलीफोन	011-24648420 / 160 / 163 / 164

आवेदकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त अनुसूची का पालन करें अन्यथा आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

धन्यवाद,

आपका भवदीय,

एसडी / -

महाप्रबंधक (सीएसआर)

एक्सप्रेसन ऑफ़ इंस्ट्रस्ट

सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) अध्ययन के लिए सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल/स्टेट पीएसयू, सेमी-स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल/स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीमड यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इम्पोर्ट्स, रेपुटेड नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनजीओ)/नोट-फॉर-प्रॉफिट(एनपीओ), प्राइवेट इंस्टिट्यूट /कंपनी के इम्पैनलमेंट के लिए एक्सप्रेसन ऑफ़ इंस्ट्रस्ट (ईओआई) ।

1. हडको के बारे में

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अंतर्गत एक नवरत्न सीपीएसई है और 1970 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हडको देश का एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कॉर्पोरेशन है जिसका पंजीकृत कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में है और पूरे भारत में इसके 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 विकास कार्यालय हैं। हडको को आरबीआई द्वारा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्य और गतिविधियाँ

हडको की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप है। सीएसआर की गतिविधियों की देखभाल के लिए, हमारी कंपनी ने निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) की अध्यक्षता में निदेशकों की एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति बनाई गई है। हडको कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर) नियम 2014 (समय-समय पर संशोधित), कंपनी की सीएसआर नीति और समय-समय पर जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में अपनी सीएसआर परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

3. कार्य का दायरा

प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) अध्ययन के अंतर्गत कार्य का प्रस्तावित व्यापक दायरा निम्नलिखित है-

क. हडको द्वारा पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही सीएसआर परियोजनाओं के लिए संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 8 (3) (a) के प्रावधानों के अनुसार प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) अध्ययन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ख. प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) अध्ययन के लिए परियोजना का सैंपल साइज़ और उद्देश्य विशिष्ट सीएसआर परियोजना पर आधारित होगा और वित्तीय बोली के आमंत्रण के समय इसका निर्णय लिया जाएगा और इसकी सूचना दी जाएगी।

4. पैनल की वैधता

इम्पैनेलमेंट 'इम्पैनेलमेंट' लेटर जारी होने की तिथि 'से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। वैधता को कुल मिलाकर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5. इम्पैनेलमेंट की प्रक्रिया

चरण	प्रक्रिया
1	एजेंसी को एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रस्ट (ईओआई) में भाग लेना होगा और निर्धारित आवेदन करते समय शर्तों के पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा।
2	पात्रता मापदंड को पूरा करने वाली एजेंसियों को इम्पैनेलमेंट लेटर जारी किया जाएगा।

6. पात्रता मापदंड

क्रमांक	विषय	विवरण
1.	संगठन और पंजीकरण की श्रेणी	- एजेंसी सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल/स्टेट पीएसयू, सेमी-स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल/स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीमंड यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्पोर्ट्स, रेपुटेड नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनजीओ)/नोट-फॉर-प्रॉफिट (एनपीओ), प्राइवेट इंस्टिट्यूट /कंपनी, होनी चाहिए। - पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक पंजीकरण कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। - पंजीकरण की वैधता इम्पैनेलमेंट अवधि तक बनी रहनी चाहिए। <u>सहायक दस्तावेज:</u> इनकॉर्पोरेशन/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
2.	प्रमाण पत्र	- पैन (अनिवार्य) <u>सहायक दस्तावेज:</u> प्रमाण पत्र की प्रति - जीएसटी (अनिवार्य) <u>सहायक दस्तावेज:</u> प्रमाण पत्र की प्रति
3.	अनुभव	(ए) एजेंसी द्वारा पिछले 7 वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं / सामुदायिक विकास परियोजनाओं / सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रभाव मूल्यांकन पर कम से कम 10 कार्य निष्पादित /पूर्ण किये होने चाहिए। (बी) बिंदु (ए) पर आवश्यकता के कम से कम 6 असाइनमेंट सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधि के प्रभाव आकलन पर होने चाहिए। (सी) (बी) अर्थात् सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के प्रभाव

		आकलन की आवश्यकता के कम से कम 4 कार्यों का क्लाइंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी/सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेज(पीएसयू) होना चाहिए। <u>सहायक दस्तावेज:</u> कार्य आदेश / अनुबंध करार और पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां।
4.	कोर्ट से कोई कन्विकशन नहीं	• एजेंसी के विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोर्ट या नियामक या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई कन्विकशन या अभियोग/प्रतिकूल आदेश नहीं होना चाहिए। • किसी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा एजेंसी या सीईओ/निदेशकों/बोर्ड/परिषद सदस्यों के विरुद्ध कोई जांच/कानूनी विवाद लंबित नहीं होना चाहिए। <u>सहायक दस्तावेज:</u> स्व-घोषणा / अंडरटेकिंग
5.	ब्लैक लिस्ट	• एजेंसी को भारत सरकार के किसी मंत्रालय /सेंट्रल(पीएसयू)/ स्टेट (पीएसयू)/सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट/ अन्य कोई ऑटोनोमस बॉडी /स्टैचरी बॉडी/ गवर्नमेंट बैंक/ इंस्टीट्यूशन आदि द्वारा ब्लैक लिस्ट /प्रतिबंधित या वर्जित नहीं किया गया होना चाहिए। <u>सहायक दस्तावेज:</u> स्व-घोषणा / अंडरटेकिंग
6.	कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरस्ट	• एजेंसी किसी भी स्टैकहोल्डर के साथ कोई ऐसा प्रोफेशनल या कमर्शियल संबंध नहीं रखेगी, जिससे सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के प्रभाव आकलन 'के संबंध में हडको के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। • एजेंसी का हडको के निदेशक मंडल के साथ कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल संबंध नहीं होगा। <u>सहायक दस्तावेज:</u> स्व-घोषणा / अंडरटेकिंग
7.	एक्रेडियेशन/ टर्नओवर	• यदि एजेंसी एक शैक्षणिक संस्थान है ,तो एजेंसी को एन.ए.ए.सी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसे A या उससे ऊपर की रैंकिंग प्राप्त होनी चाहिए। <u>सहायक दस्तावेज:</u> प्रमाणपत्र • अन्य सभी मामलों में एजेंसी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्नओवर 100.00 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। <u>सहायक दस्तावेज:</u> पिछले 3 वित्तीय वर्षों की आईटीआर एवं बैलेंस शीट
8.	पंजीकृत / कॉर्पोरेट कार्यालय	• एजेंसी का पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय हडको के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के शहर में होना चाहिए। <u>सहायक दस्तावेज:</u>

		पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय पते का प्रासंगिक प्रमाण
9.	अन्य खंड	एजेंसी के उद्देश्य धार्मिक या राजनीतिक नहीं होने चाहिए। सहायक दस्तावेज़: स्व-घोषणा / अंडरटेकिंग
		एजेंसी किसी लिक्विडेशन/कोर्ट रिसीवरशिप या ऐसी किसी कार्यवाही के अधीन नहीं होनी चाहिए। सहायक दस्तावेज़: स्व-घोषणा / अंडरटेकिंग
		- एजेंसी के पास रेगुलर रोल में कम से कम 3 प्रोफेशनल/अनुसंधान विशेषज्ञ/शिक्षाविद हो, जिन्हें प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) अध्ययन करने का अनुभव हो। सहायक दस्तावेज़: - स्व-घोषणा / अंडरटेकिंग - अपेक्षित मानव संसाधन का बायोडाटा/सी.वी. - अपेक्षित मानव संसाधन का नियुक्ति पत्र।

7. कार्य प्रदान करने की पद्धति:

- I. पैनल में शामिल होने के बाद ,हडको की खुदरा नीति (प्रोक्योमेंट पॉलिसी) के अनुसार पैनल में शामिल एजेंसियों से प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित (जब भी हडको द्वारा अपेक्षित हो) की जाएंगी।
- II. सभी इम्पैनेल्ड एजेंसियाँ प्रभाव आकलन के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगी। हालाँकि , एक एजेंसी को एक समय में अधिकतम 03 (तीन) बोलियों में अवार्ड पर विचार किया जा सकता है और पहले दिए गए अध्ययनों के पूरा होने के बाद ही अन्य अवार्ड पर हडको द्वारा विचार किया जा सकता है।
- III. यह कार्य L 1 आवेदक को दिया जाएगा।

8. ईओआई के अनुसार हडको के पैनल में शामिल होने के लिए इच्छुक एजेंसियों को ईओआई जमा करने की नियत तिथि तक या उससे पहले सभी सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

9. ईओआई जमा करना

ईमेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से पैनल में शामिल होने के लिए सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 तक होगी। प्रस्तुत किए जा रहे ईओआई के सभी पृष्ठों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

10. ईओआई प्रक्रिया की समयसीमा:

ईओआई के प्रकाशन की तिथि	05 जून 2025
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि	26 जून 2025
ईओआई जमा करने का तरीका	ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से
सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने का पता (हार्ड कॉपी के मामले में)	महाप्रबंधक (सीएसआर), हडको भवन ,इंडियन हैबिटेट सेंटर ,लोधी रोड ,नई दिल्ली-110003
ईमेल आईडी	CSR@HUDCO.ORG
टेलीफोन	011-24648420 / 160 / 163 / 164

आवेदन पत्र

(एजेंसी द्वारा उनके लेटर हेड पर जमा किया जाए)

सन्दर्भ संख्या

दिनांक.....

सेवा में

महाप्रबंधक (सीएसआर)

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हडको भवन, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय : सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करने के लिए एजेंसियों का इम्पैनलमेंट

सन्दर्भ : ईओआई संख्या.....

महोदय,

- हम सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) के लिए स्वयं को इम्पैनल करने का प्रस्ताव रखते हैं।
- हमने आपके द्वारा प्रस्तुत ईओआई दस्तावेजों में उल्लिखित निर्देशों और नियमों व शर्तों को समझ लिया है।
- हम निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं:

क्रम सं.	विवरण	एन्क्लोजर्स
1	लेटर ऑफ अथॉरिटी	फॉर्म - I
2	एजेंसी प्रोफाइल फॉर्म	फॉर्म - II
3	ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में अंडरटेकिंग	फॉर्म - III
4	'जेम पोर्टल' पर पंजीकरण हेतु अंडरटेकिंग	फॉर्म - IV
5	कोर्ट से कन्विकशन न होने का अंडरटेकिंग	फॉर्म - V
6	कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट के लिए अंडरटेकिंग	फॉर्म - VI
7	धार्मिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंडरटेकिंग	फॉर्म - VII
8	लिक्विडेशन / कोर्ट रिसीवरशिप के लिए अंडरटेकिंग	फॉर्म - VIII
9	मानव संसाधन के लिए अंडरटेकिंग	फॉर्म - IX
10	पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मापदंड का अनुपालन	अनुबंध-ए
11	पिछले 7 वर्षों के दौरान एजेंसी के अनुभव का विवरण	अनुबंध बी

- हम प्रमाणित करते हैं कि प्रदान की गई सभी जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। हम समझते हैं कि किसी भी जानबूझकर गलत बयान/सूचना के कारण हमें पैनल में शामिल होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हम यह भी समझते हैं कि किसी भी

गलत बयान/सूचना के मामले में ,हमें ऐसी अयोग्यता की तारीख से अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए हडको के साथ भविष्य के असाइनमेंट के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

भवदीय,

दिनांक:

फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान :

नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फॉर्म - I

(एजेंसी द्वारा उनके लेटर हेड पर जमा किया जाए)

लेटर ऑफ अथॉरिटी

मेसर्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

हडको भवन, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003.

महोदय,

सन्दर्भ : ईओआई संख्या.

आपके उपरोक्त ईओआई के अनुक्रम में, श्री/सुश्री _____

(पुत्र/पुत्री/पत्नी/ _____ और पता _____)

हमारे अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए कोई भी दस्तावेज़/प्रस्ताव/प्रतिबद्धताएँ हमारे लिए बाध्यकारी होंगी जैसे कि वे हमारे द्वारा बनाई गई हों।

यह प्राधिकरण वैध रहेगा और प्राधिकरण में परिवर्तन होने पर हडको को सूचित किया जाएगा।

प्राधिकरण के प्रतिसंहरण (रिवोकेशन) की पावती से पहले अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गई कोई भी प्रतिबद्धता हमारे लिए बाध्यकारी होगी।

आपका भवदीय,

दिनांक :

फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान:

नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फार्म -I।

एजेंसी प्रोफाइल फॉर्म

क्रम सं.	विवरण	जानकारी	संलग्न दस्तावेज
1	एजेंसी का नाम		
2	एजेंसी का लीगल स्टेटस		
3	एजेंसी का पंजीकरण विवरण		
4	बिजनेस का इन्कॉर्पोरेशन या कमेन्समेंट/अन्य स्टेचरी रजिस्ट्रेशन आदि		
5	इन्कॉर्पोरेशन/ पंजीकरण की तिथि		
6	पैन नंबर		
7	जीएसटी नंबर		
8	जेम पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो तो)		
9	आवेदक का पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय का पता		
10	हडको के साथ सिंगल पॉइंट इंटरैक्शन के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम और पदनाम।		
11	संपर्क व्यक्तियों के मोबाइल नंबर		
	संपर्क व्यक्तियों का ई-मेल		

दिनांक : फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान : नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फॉर्म-III

(एजेंसी द्वारा उनके लेटर हेड पर जमा किया जाए)

ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंधित(बैन्ड)/ निषेध(डी-बैरेड) न होने की अंडरटेकिंग

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि हमें भारत सरकार के किसी मंत्रालय/सेंट्रल पीएसयू /स्टेट पीएसयू/सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट/ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अन्य ऑटोनोमस बॉडी/स्टेचरी बॉडी/ गवर्नमेंट बैंक/रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन द्वारा ब्लैक लिस्ट /प्रतिबंधित(बैन्ड)/निषेधित(डी-बैरेड) नहीं किया गया है और न ही हमें भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

आपका भवदीय,

दिनांक : फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान : नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फॉर्म - IV

(एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

'जेम पोर्टल' पर पंजीकरण हेतु अंडरटेकिंग

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कार्य प्रदान करने हेतु बोली में भाग लेने के लिए हडको द्वारा पैनलबद्ध किए जाने के पश्चात हम अपने संगठन को जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे।

आपका भवदीय,

दिनांक : फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____
 स्थान : नाम _____
 पदनाम _____
 कॉमन सील _____
 एजेंसी का नाम _____

फॉर्म - V

(एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

कोर्ट ऑफ़ लॉ से कन्विकशन न होने की अंडरटेकिंग

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि किसी कोर्ट या विनियामक या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा एजेंसी के विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई कन्विकशन या अभियोग/प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया गया है।

हम यह भी आश्वासन देते हैं कि किसी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा एजेंसी या सीईओ/निदेशकों/बोर्ड/परिषद सदस्यों के विरुद्ध कोई जांच लंबित नहीं है।

आपका भवदीय,

दिनांक : फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ़ _____

स्थान : नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फॉर्म - VI

(एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरस्ट के लिए अंडरटेकिंग

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि हमारा किसी भी स्टैकहोल्डर के साथ कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल संबंध नहीं है ,जो' सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के प्रभाव आकलन 'के संचालन के संबंध में हडको के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

हम यह भी वचन देते हैं कि हडको के निदेशक मंडल के साथ हमारा कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल संबंध नहीं है।

आपका भवदीय,

दिनांक: फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ़ _____

स्थान : नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फॉर्म -VII

(एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

धार्मिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंडरटेकिंग

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि एजेंसी के उद्देश्य धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के नहीं हैं।

आपका भवदीय,

दिनांक:

फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान:

नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फॉर्म-VIII

(एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

लिक्विडेशन हेतु अंडरटेकिंग

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि एजेंसी किसी लिक्विडेशन/कोर्ट रिसीवरशिप या ऐसी किसी कार्यवाही के अधीन नहीं है।

आपका भवदीय,

दिनांक:

फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान:

नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

फॉर्म-IX

(एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

मानव संसाधन हेतु अंडरटेकिंग

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि एजेंसी के पास रेगुलर रोल में कम से कम 3 प्रोफेशनल/अनुसंधान विशेषज्ञ/शिक्षाविद है, जिन्हें प्रभाव आकलन अध्ययन करने का अनुभव है।

आपका भवदीय,

दिनांक :

फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान :

नाम _____

पद का नाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

अनुलग्नक - क

प्रभाव आकलन एजेंसी के रूप में इम्पैनलमेंट के लिए अनुपालन हेतु चेक शीट

क्रमांक सं.	पात्रता मापदंड	अनुपालन (हाँ/नहीं)	संलग्न दस्तावेज
1(ए)	एजेंसी सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल/स्टेट पीएसयू, सेमी-स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, सेंट्रल/स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इम्पोर्ट्स, रेपुटेड नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनजीओ)/नोट-फॉर-प्रॉफिट(एनपीओ), प्राइवेट इंस्टिट्यूट /कंपनी होनी चाहिए।		
1(बी)	पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक पंजीकरण कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए।		
1(सी)	पंजीकरण की वैधता पैनल अवधि तक बनी रहनी चाहिए।		
2(ए)	एजेंसी द्वारा पिछले 7 वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं / सामुदायिक विकास परियोजनाओं / सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रभाव मूल्यांकन पर कम से कम 10 कार्य निष्पादित /पूर्ण किये होने चाहिए।		
2(बी)	2(ए)की आवश्यकता के अनुसार कम से कम 6 कार्य सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधि के प्रभाव आकलन पर होने चाहिए।		
2(सी)	2(बी) की आवश्यकता के अनुसार कम से कम 4 असाइनमेंट अर्थात सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों के प्रभाव आकलन के क्लाइंट एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी/सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेज(पीएसयू) होना चाहिए।		
3(ए)	शैक्षणिक संस्थान के मामले में :एन.ए.ए.सी मान्यता - A या उससे ऊपर		
3(बी)	अन्य सभी मामलों में :पिछले 3 वित्तीय वर्षों में वार्षिक टर्नओवर 100.00 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।		
4	ब्लैकलिस्टिंग के लिए अंडरटेकिंग		
5	'जेम पोर्टल 'पर पंजीकरण हेतु अंडरटेकिंग (यदि जेम पंजीकरण उपलब्ध नहीं है)		
6	कोर्ट से कन्विकशन न होने का अंडरटेकिंग		
7	कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरस्ट के लिए अंडरटेकिंग		
8	धार्मिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों हेतु अंडरटेकिंग		
9	लिविडेशन /कोर्ट रिसीवरशिप के लिए अंडरटेकिंग		

10	मानव संसाधन के लिए अंडरटेकिंग		
11	हुडको के क्षेत्रीय कार्यालय स्थानों पर एजेंसी का कॉर्पोरेट / पंजीकृत कार्यालय		

दिनांक : फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान : नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____

अनुलग्नक - बी

पिछले 7 वर्षों के दौरान एजेंसी के अनुभव का विवरण

क्रम सं.	क्लाइंट का नाम	असाइनमेंट की प्रकृति	अवार्ड वैल्यू (रु.)	अवार्ड की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	संलग्न दस्तावेज

दिनांक:

फॉर एंड ओन बिहाफ ऑफ _____

स्थान :

नाम _____

पदनाम _____

कॉमन सील _____

एजेंसी का नाम _____